

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (विभागों की सूची संलग्न है),
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2017

विषय :- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्र संख्या-7/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, पत्र संख्या-8/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 08 सितम्बर, 2017, पत्र संख्या-10/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017, अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या-12/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 एवं पत्र संख्या-13/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा अपने प्रशासकीय/अधिष्ठाणीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के सम्बन्ध में चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराकर संलग्न प्रारूप पर पूरे विभाग की समेकित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी । साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी थी कि अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सम्पूर्ण सूचना यदि दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो वांछित सूचना दिनांक 02 नवम्बर, 2017 को अपने हस्ताक्षर से मुख्य सचिव को सीधे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3- जिन विभागों से सूचना नहीं प्राप्त हुयी थी, उन विभागों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02 नवम्बर, 2017 को बैठक आहूत की गयी थी। उक्त के संदर्भ में लगातार अनुश्रवण किये जाने से यह ज्ञात हुआ है कि विभागों में पदोन्नति कोटे में सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष अभी तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है और अभी भी काफी संख्या में पद रिक्त हैं।

4- विभागीय प्रोन्नतियां पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को मध्याह्न 12-00 बजे से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित उनके सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों को भरे जाने सम्बन्धी अद्यतन संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में कार्मिक अनुभाग-1 को दिनांक 27 नवम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा उक्त बैठक में अद्यतन संकलित सूचना तथा इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें कि आपके नियंत्रणाधीन सभी विभागीय प्रोन्नतियां पूर्ण कर ली गयी हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16 /2017-13(6)/2017(1) /का-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
- (3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,
अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप

चयन वर्ष 2017-2018 हेतु आगणित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत/पदोन्नत किये गये कार्मिकों का संक्षिप्त विवरण।

समूह	चयन वर्ष 2017-2018 हेतु आगणित रिक्तियों की संख्या	पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों की संख्या	पदोन्नति प्रदान किये जा चुके कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
क				
ख				
ग				
घ				
योग-				

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभागीय प्रोन्नतियां पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2017 को मध्यान्ह 12-00 बजे से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में सम्मिलित विभागों की सूची ।

1.	ऊर्जा	
2.	वित्त	
3.	कृषि	
4.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
5.	आयुष	
6.	सिंचाई एवं जल संसाधन	
7.	लोक निर्माण	
8.	राजस्व	
9.	औद्योगिक विकास	
10.	खाद्य एवं रसद	
11.	गृह	
12.	कारागार प्रशासन एवं सुधार	
13.	नियोजन	
14.	श्रम	
15.	संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन (वाणिज्य कर)	
16.	मनोरंजन कर (संस्थागत वित्त)	
17.	ग्राम्य विकास	
18.	उच्च शिक्षा	
19.	माध्यमिक शिक्षा	
20.	बेसिक शिक्षा	
21.	प्राविधिक शिक्षा	
22.	चिकित्सा शिक्षा	
23.	समाज कल्याण	
24.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार	
25.	पंचायती राज	
26.	महिला कल्याण	
27.	बाल विकास एवं पुष्टाहार	
28.	ग्रामीण अभियन्त्रण	
29.	आवास	
30.	सचिवालय प्रशासन	
31.	नगर विकास	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।